

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

—: अधिसूचना :-

पटना-15, दिनांक-17/12/17

संख्या - मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद-36/2012/.....306...../भारत संविधान के अनुच्छेद -166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :-

—: संशोधन :-

1. कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम, 32(क)(XV) में उल्लिखित शब्द 'रु० 10,000/- (दस हजार) को शब्द 'रु० 1,00,000/- (एक लाख)' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
2. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-22 के प्रावधान के बाद अंकित टिप्पणी को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
3. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका 24 के प्रावधान के बाद अंकित टिप्पणी का एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
4. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-35(i), (ii), (iii) तथा टिप्पणी (1), टिप्पणी (2) एवं टिप्पणी (4) को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
5. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-35 की टिप्पणी (3) में प्रयुक्त शब्द "योजनाओं", "योजना" तथा "सक्षम प्राधिकार" क्रमशः शब्द "स्कीम्स", "स्कीम" तथा "पूर्व से विनिश्चयत सक्षम प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के प्राधिकार" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
6. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग (क) की कंडिका-4 में उल्लिखित शब्द "चालू योजना तथा चालू गैर योजना स्कीमों" को शब्द "स्कीमों" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
7. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग (ग) की कंडिका-2 में उल्लिखित शब्द "चालू योजना/चालू गैर योजना स्कीमों" को शब्द "स्कीमों" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
8. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग (ग) की कंडिका-3 में उल्लिखित शब्द "नई योजना स्कीमों" शब्द "स्कीमों" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
9. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग (ग) की कंडिका-3 (i) (ii) (iii) एवं (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे। :-
 - (i) 5.00 करोड़ रूपयों की लागत वाली नई स्कीमों की स्वीकृति।
 - (ii) 5.00 करोड़ रूपयों से अधिक परन्तु 15.00 करोड़ रूपयों तक की, नई स्कीमों की स्वीकृति।
 - (iii) 15.00 करोड़ रूपयों से अधिक, परन्तु 30.00 करोड़ रूपयों तक की लागत वाली नई स्कीमों की स्वीकृति।
 - (iv) 30.00 करोड़ रूपयों से अधिक की लागत वाली स्कीमों की स्वीकृति।
10. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग (ग) की कंडिका-4 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

11. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग (ग) की कंडिका-5 (i) (ii) एवं (iii) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

स्कीमों में आवंटन की स्वीकृति :-

- (i) स्कीमों में आवंटन की स्वीकृति।
- (ii) विलोपित।
- (iii) स्कीम मदों में आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर करने का स्तर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(ब्रजेश मेहरोत्रा) 17/3/17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - मं0मं0-01 / मंत्रिपरिषद-36 / 2012 /306..... / दिनांक-.....17/3/17.....

प्रतिलिपि - राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार/सभी माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(ब्रजेश मेहरोत्रा) 17/3/17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - मं0मं0-01 / मंत्रिपरिषद-36 / 2012 /306..... / दिनांक-.....17/3/17.....

प्रतिलिपि - अवर सचिव, (ई० गजट शाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अधिसूचना की सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।



(ब्रजेश मेहरोत्रा) 17/3/17

सरकार के प्रधान सचिव

Government of Bihar
Cabinet Secretariat Department

-:: Notification ::-

Patna, 15 Dated-

17/3/17

File No:- MM-01/Mantriparishad-36/2012/ 305 / In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following amendments in the Rules of Executive Business, of Bihar, 1979 (Amended from time to time) with immediate effect :-

-:: Amendments ::-

1. The Words Rs. 10,000/- (Ten thousand) mentioned in Rule 32(a)(xv) of Rules of Executive Business, 1979 (Amended from time to time) shall be substituted by the word 'Rs. 100000/-(One Lakh)'.
2. Note after the provision of Para 22 of third schedule of the said Rules, 1979 is hereby deleted.
3. Note after the provision of Para-24 of third Schedule of the said Rules, 1979 is hereby deleted.
4. Provision of Para 35(i),(ii),(iii) and Note (1), Note (2) and Note (4) of the Third Schedule of the said Rules, 1979 are hereby deleted.
5. The words 'yojanaon', 'Yojana' and 'Competent Authority' used in Note (3) of Para 35 of third Schedule of said Rules, 1979 shall be substituted by the words 'Schemes', 'Scheme', and 'Authority one level above of the competent Authority already determined' respectively.
6. The words 'current plan and current non-plan scheme' mentioned in Para 4 in part A of the fourth schedule of the said Rules, 1979 shall be substituted by the word 'Schemes'.
7. The words 'current plan and current non-plan scheme' mentioned in Para 2 in Part C of the fourth schedule of the said Rules, 1979 shall be substituted by the word 'Schemes'.
8. The words 'New plan Schemes' mentioned in Para 3 in part C of the fourth schedule of the said Rules, 1979 shall be substituted by the word 'Schemes'.
9. Para 3 (i)(ii)(iii) and (iv) of fourth schedule of the said Rules, 1979 shall be substituted by the following :-
 - (i) Sanction of Schemes of Rs. 5.00 millions.
 - (ii) Sanction of Schemes of more than Rs. 5.00 millions but upto Rs. 15.00 millions.
 - (iii) Sanction of new Schemes of more than Rs. 15.00 millions but less than Rs. 30.00 millions.
 - (iv) Sanction of Schemes of more than Rs. 30.00 millions.

10. Para-4 in part C of the fourth schedule of the said Rules, 1979 is hereby deleted.

11. Para 5 (i)(ii) and (iii) of fourth schedule of the said rules, 1979 shall be substituted by the following :-

Sanction of Allotment Under Schemes

- (i) Sanction of allotment under schemes.
- (ii) deleted.
- (iii) Level of making signature on allotment order under schemes heads.

By order of the Governor of Bihar

B. Mehrotra
(Brijesh Mehrotra) 17/3/17

Principal Secretary to the Government

Memo No:- MM-01/Mantriparishad-36/2012/ 305 /Dated- 17/3/17

Copy forwarded to Principal Secretary to the Governor/Principal Secretary to the Chief Minister/Chief Secretary, Bihar/Development Commissioner, Bihar/Chairman-cum-Member, Board of Revenue, Bihar/All Private Secretary to the Ministers of Bihar/All Principal Secretary/Secretary/Heads of the Departments, Govt. of Bihar for information and necessary action.

B. Mehrotra
(Brijesh Mehrotra) 17/3/17

Principal Secretary to the Government

Memo No:- MM-01/Mantriparishad-36/2012/ 305 /Dated- 17/3/17

Copy forwarded to Under Secretary, Finance Department (E.Gazette Section), Govt. of Bihar.

The Superintendent, Secretariat Press, Gulzarbagh, Patna-800007 with the request for Publication in Extra Ordinary issue of the Bihar Gazette. He is also requested to send its 100 (One Hundred) copies to this Department.

B. Mehrotra
(Brijesh Mehrotra) 17/3/17

Principal Secretary to the Government